2012:CGHC:9207
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 660, सन् 2004

संतोष कुमार

बनाम

छत्तीसगढ़ राज्य

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

प्रकरण दिनांक **04-12-2012** को सूचिबद्ध करें ।

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

2012:CGHC:9207
प्रकाशन हेतु अनुमोदित

छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

एकल पीठ : माननीय श्री न्यायमूर्ति राधे श्याम शर्मा

दाण्डिक अपील क्रमांक 660, सन् 2004

अपीलार्थी	:	**संतोष कुमार**, पिता – गोदना, आयु लगभग **20 वर्ष**, जाति **ताड़ी (उड़िया)**, निवासी **गांधी चौक राजहरा**, थाना **राजहरा**, जिला **दुर्ग (छत्तीसगढ़)**।
	बनाम	
प्रत्यर्थी	:	**छत्तीसगढ़ राज्य**

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थित:-

श्री अनुराग वर्मा, अधिवक्ता अपीलार्थी की ओर से ।

श्री संदीप यादव, उप शासकीय अधिवक्ता, राज्य / प्रत्यर्थी की ओर से।

दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 की धारा 374(2) के अंतर्गत अपील

// निर्णय //

(दिनांक 04 दिसम्बर 2012, को उद्घोषित किया गया)

यह अपील, अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद, जिला दुर्ग द्वारा दिनांक 27-11-2002 को सत्र प्रकरण क्रमांक 343/2001 में पारित निर्णय के विरुद्ध प्रस्तुत करी गयी है। उक्त आक्षेपित निर्णय द्वारा अभियुक्त/अपीलार्थी संतोष कुमार को निम्नलिखित प्रकार से दोषसिद्ध कर दण्डित किया गया है, साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि सभी दण्ड साथ-साथ चलेंगे—

दोषसिद्धि	**दण्ड**
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 के अंतर्गत-	7 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,000/- का जुर्माना ; जुर्माना अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के अंतर्गत-	7 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,000/- का जुर्माना ; जुर्माना अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।
भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत-	7 वर्ष का कठोर कारावास तथा ₹1,000/- का जुर्माना ; जुर्माना अदा न करने की दशा में 6 माह का अतिरिक्त कठोर कारावास।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

2. अभियोजन का प्रकरण, संक्षेप में, निम्नानुसार है—

अभियोक्त्री (अ. सा.-3), रामजी (अ. सा.-2) की पुत्री है। रामजी (अ. सा.-2) द्वारा थाना राजहरा में गुमशुदगी की सुचना दर्ज कराई गई, जहाँ गुमशुदगी सुचना क्रमांक 17/2001 अंकित की गई। अन्वेषण के दौरान, अभियोक्त्री (अ. सा.-3) को अपीलार्थी के साथ प्रेम नायक के मकान से, जो कि संबलपुर, उड़ीसा में निवास करता था, प्रदर्श (प्रदर्श.पी-20) के माध्यम से बरामद किया गया। अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का कथन दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 161 के अंतर्गत अभिलेखित किया गया। अभियोक्त्री (अ. सा.-3) ने बताया कि घटना के दिन अपीलार्थी उसके घर आया और उसे प्रलोभन दिया। उक्त प्रलोभन में आकर अभियोक्त्री (अ. सा.-3), अपीलार्थी के साथ बालोद चली गई। अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री (अ. सा.-3) को वहाँ अपने एक मित्र के घर में रखा गया। तत्पश्चात, अभियोक्त्री (अ. सा.-3) को मडौदा में मुक्ताबाई के घर ले जाया गया, जहाँ अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के साथ लैंगिक संभोग किया गया।अभियोक्त्री (अ. सा.-3) को पुनः प्रेम नायक के मकान से, जो कि संबलपुर, उड़ीसा में निवास करता था, प्रदर्श (प्रदर्श.पी-20) के माध्यम से बरामद किया गया। थाना राजहरा में भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 के अंतर्गत अपराध के लिए प्रथम सूचना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-11) दर्ज की गई। अभियोक्त्री (अ. सा.-3) को (प्रदर्श.पी-1अ) के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, डौंडी भेजा गया,। डॉ. श्रीमती एस. क्लेडियस (अ. सा.-1) द्वारा अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का परीक्षण किया और अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-1) प्रस्तुत किया । उन्होंने अभिमत दिया कि अभियोक्त्री लैंगिक संभोग की

अभ्यस्त है। उन्होंने अभियोक्त्री (अ. सा.-3) आयु निर्धारण हेतु एक्स-रे परीक्षण कराने की सलाह दी। डॉ. एस. ए. मंडगे (अ. सा.-14) ने अभियोक्त्री का एक्स-रे परीक्षण किया तथा अपना प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-21) किया , जिसमें उन्होंने अभिमत दिया कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 13 से 15 वर्ष के मध्य थी। अपीलार्थी को भी प्रदर्श (प्रदर्श.पी-13) के माध्यम से चिकित्सीय परीक्षण हेतु प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, चिखलाकासा भेजा गया, डॉ. आर. आर. रामटेके (अ. सा.-13) द्वारा उसका परीक्षण और प्रतिवेदन (प्रदर्श.पी-13 अ) प्रस्तुत किया , जिसमें यह पाया गया कि अपीलार्थी लैंगिक संभोग करने में सक्षम था।

आगे की विवेचना के दौरान, अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का एक पेटीकोट प्रदर्श (प्रदर्श.पी-3) के माध्यम से जप्त किया गया। दाखिल-खारिज पंजी को प्रदर्श (प्रदर्श.पी-9) के माध्यम से जप्त किया गया। साथ ही, श्रीमती उर्मिला सिंह (अ. सा.-6) से एक प्रमाणपत्र भी प्राप्त किया गया। अपीलार्थी की फुल-पैंट को भी प्रदर्श (प्रदर्श.पी-12) के माध्यम से जप्त किया गया। डॉ. श्रीमती एस. क्लेडियस (अ. सा.-1) द्वारा अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के योनि स्वैब के स्लाइड्स तैयार किए गए, जिन्हें प्रदर्श (प्रदर्श.पी-10) के माध्यम से जप्त किया गया। जप्त सामग्री को परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, रायपुर को प्रदर्श (प्रदर्श.पी-18) के माध्यम से प्रेषित किया गया।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

अन्वेषण की पूर्णता के उपरांत, अपीलार्थी के विरुद्ध अभियोग-पत्र न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बालोद के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिन्होंने तत्पश्चात प्रकरण को सत्र न्यायालय, दुर्ग को विचारण हेतु अग्रेषित किया। वहाँ से यह प्रकरण अंतरण पर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, बालोद को प्राप्त हुआ, जिन्होंने विचारण संपन्न करते हुए अपीलार्थी को उपर्युक्त वर्णित अनुसार दोषसिद्ध ठहराया तथा दण्डित किया।

3. श्री अनुराग वर्मा, अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि घटना के दिन अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 16 वर्ष से अधिक थी। उन्होंने यह भी तर्क दिया कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु से संबंधित जो दस्तावेज अभियोजन द्वारा प्रस्तुत किए गए हैं, वे विधिवत सिद्ध नहीं किए गए हैं। आगे यह भी तर्क किया गया कि विचारण न्यायालय द्वारा अभिलिखित निष्कर्ष विकृत है। अधिवक्ता ने यह भी तर्क किया कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) स्वेच्छा से अपना घर छोड़कर गई थी तथा यह परिलक्षित होता है कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) एक सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी।

4. श्री संदीप यादव, राज्य/ प्रत्यर्थी की ओर से विद्वान उप शासकीय अधिवक्ता ने आक्षेपित निर्णय का समर्थन करते हुए तर्क प्रस्तुत किया कि माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित दोषसिद्धि एवं अधिरोपित दण्ड में इस न्यायालय द्वारा किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं है।

5. पक्षकारों के परस्पर विरोध तर्कों को विस्तारपूर्वक सुनने के पश्चात्, मैंने सत्र प्रकरण क्रमांक 343/2001 के अभिलेख का अवलोकन किया।

6. अब, मैं इस प्रश्न का परीक्षण करूँगा कि घटना के दिन अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 16 वर्ष से कम थी या नहीं?

7. पीड़िता बालिका के माता-पिता का साक्ष्य उसकी आयु सिद्ध करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। वर्तमान प्रकरण में, अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के अभिसाक्ष्य के समय उसकी आयु उसके अभिसाक्ष्य पत्र में 14 वर्ष अंकित की गई है। रामजी (अ. सा.-2), जो कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के पिता हैं, ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 14 वर्ष थी। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य किया कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का प्रवेश दल्लीराजहरा स्थित केलाबाड़ी विद्यालय में कराया था। अपने अभिसाक्ष्य के कंडिका 12 में उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि जब अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का विद्यालय में प्रवेश कराया गया था, उस समय उसकी आयु 7 वर्ष थी। श्रीमती उर्मिला सिंह (अ. सा.-6) ने अपने अभिसाक्ष्य में कहा कि वह वर्ष 1994-1995 से केलाबाड़ी विद्यालय, दल्लीराजहरा में शिक्षिका के रूप में पदस्थ थीं तथा अभिसाक्ष्य के दिन वह प्रभारी प्रधानाध्यापिका के पद पर कार्यरत थीं। उन्होंने उक्त विद्यालय का मूल दाखिल-खारिज रजिस्टर प्रस्तुत किया। उक्त रजिस्टर दिनांक 6-7-1987 से संधारित किया जा रहा था। रजिस्टर के क्रमांक 778 पर अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की जन्मतिथि 12-5-1988 अंकित है। उन्होंने आगे कथन किया कि दिनांक 18-7-2001 को उन्होंने दाखिल-खारिज पंजी के आधार पर एक प्रमाणपत्र (प्रदर्श.पी-7) जारी किया। दाखिल-खारिज पंजी की प्रमाणित प्रति प्रदर्श.पी-8सी है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. जी. के. पाणिकर (अ. सा.-7) ने अपने अभिसाक्ष्य दिया है कि वे केलाबाड़ी विद्यालय, दल्लीराजहरा में सहायक शिक्षक के पद पर पदस्थ थे। उन्होंने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि श्रीमती उर्मिला सिंह (अ. सा.-6) प्रभारी प्रधानाध्यापिका के रूप में पदस्थ थीं। उन्होंने आगे अभिसाक्ष्य दिया कि दिनांक 18-7-2001 को दाखिल-खारिज रजिस्टर, श्रीमती उर्मिला सिंह (अ. सा.-6) से प्रदर्श

(प्रदर्श.पी-9) के माध्यम से जप्त किया गया। एएसआई एन. एस. त्रिपाठी (अ. सा.-10) ने भी अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने केलाबाड़ी विद्यालय, दल्लीराजहरा का दाखिल-खारिज पंजी प्रदर्श (प्रदर्श.पी-9) के माध्यम से जप्त किया था।

9. डॉ. एस. ए. मंडगे (अ. सा.-14) ने अपने अभिसाक्ष्य दिया है कि उन्होंने अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का एक्स-रे परीक्षण किया तथा पाया कि उसकी आयु 15 वर्ष थी। उनका प्रतिवेदन प्रदर्श (प्रदर्श.पी-21) है।

10. ***अलमेलु एवं अन्य बनाम राज्य, पुलिस निरीक्षक द्वारा प्रतिनिधित्वित, ए.आई.आर. 2011 सर्वोच्च न्यायालय 715*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया—

> "38.....स्थानांतरण प्रमाणपत्र एक शासकीय विद्यालय द्वारा निर्गत किया गया है तथा विधिवत रूप से प्रधानाध्यापक द्वारा हस्ताक्षरित है। अतः यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होगा। तथापि, ऐसे दस्तावेज की ग्राह्यता मात्र से बालिका की आयु सिद्ध करने के लिए इसका साक्ष्यात्मक मूल्य अधिक नहीं होगा, जब तक कि उस आधारभूत सामग्री को प्रस्तुत नहीं किया जाता, जिसके आधार पर आयु अभिलेखित की गई थी। स्थानांतरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित जन्मतिथि का कोई साक्ष्यात्मक मूल्य नहीं होगा, जब तक कि वह व्यक्ति, जिसने उक्त प्रविष्टि की है अथवा जिसने जन्मतिथि प्रदान की है, का परीक्षण नहीं किया जाता...।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

11. ***छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम, (2006) 5 एस.सी.सी. 736*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया—

> "विद्यालय में संधारित रजिस्टर, संबंधित व्यक्ति की जन्मतिथि सिद्ध करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 35 के प्रावधानों के अंतर्गत साक्ष्य के रूप में ग्राह्य होता है। ऐसी जन्मतिथियाँ विद्यालय के रजिस्टर में प्राधिकृत व्यक्तियों द्वारा अपने सार्वजनिक कर्तव्य के निर्वहन में अभिलेखित की जाती हैं। यह सत्य हो सकता है कि विद्यालय रजिस्टर में की गई प्रविष्टि निर्णायक नहीं होती, तथापि उसका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है। वर्तमान प्रकरण में विद्यालय रजिस्टर के इस साक्ष्यात्मक मूल्य का समर्थन मौखिक साक्ष्य द्वारा भी होता है, क्योंकि उक्त प्रविष्टि अभियोक्त्री की माता के कथन के आधार पर की गई थी।"

12. ***शेकरा बनाम कर्नाटक राज्य, (2009) 14 एस.सी.सी. 76*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया—

> "**6.** यह उल्लेखनीय है कि अ. सा.-1 ने स्थानांतरण प्रमाणपत्र (प्रदर्श.पी -9) प्रस्तुत किया तथा यह कथन किया कि यह पीड़िता से संबंधित है और उसमें उसका नाम अंकित है। उसके प्रतिपरीक्षण में ऐसा कुछ भी अभिलक्षित नहीं हुआ जिससे उसके इस साक्ष्य को अस्वीकार किया जा सके कि प्रदर्श.पी -9 पीड़िता, अर्थात् अ. सा.-1 की पुत्री, से संबंधित है। अ. सा.-12 ने उक्त स्थानांतरण प्रमाणपत्र जारी किया था तथा अपने साक्ष्य में यह भी कहा कि वह संबंधित विद्यालय में प्रधानाध्यापक के रूप में कार्यरत था। उसने यह भी कहा कि उसे स्मरण है कि जब अ. सा.-1 अपने बच्चों के लिए स्थानांतरण प्रमाणपत्र हेतु आवेदन करने आई थी, तब उसने उसे देखा था तथा उसी को स्थानांतरण प्रमाणपत्र निर्गत किया था, और प्रदर्श.पी -9 वही प्रमाणपत्र है जिसे उसके द्वारा जारी किया गया है। इस पर प्रधानाध्यापक के हस्ताक्षर भी अंकित हैं। उसने स्पष्ट रूप से कहा कि प्रदर्श.पी -9, प्रवेश रजिस्टर में की गई प्रविष्टियों के आधार पर जारी किया गया था तथा प्रदर्श.पी -10(क) वह संबंधित प्रविष्टि है जिसके आधार पर प्रदर्श.पी -9 जारी किया गया।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

> "**7.** ***छत्तीसगढ़ राज्य बनाम लेखराम, (2006) 5 एस.सी.सी. 736*** में यह अभिनिर्धारित किया गया कि विद्यालय में संधारित रजिस्टर, संबंधित व्यक्ति की जन्मतिथि सिद्ध करने के लिए भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 (संक्षेप में 'साक्ष्य अधिनियम') की धारा 35 के अंतर्गत ग्राह्य साक्ष्य है। यह सत्य हो सकता है कि विद्यालय रजिस्टर की प्रविष्टि निर्णायक नहीं होती, तथापि उसका साक्ष्यात्मक मूल्य होता है।"

14. वर्तमान प्रकरण में, श्रीमती उर्मिला सिंह (अ. सा.-6), जो कि प्रभारी प्रधानाध्यापिका थीं तथा जिन्होंने दाखिल-खारिज पंजी में प्रविष्टि की थी, का परीक्षण अभियोजन द्वारा किया गया। श्रीमती उर्मिला सिंह (अ. सा.-6) ने स्पष्ट रूप से कथन किया कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की जन्मतिथि, उसके अभिभावक द्वारा दी गई सूचना के आधार पर दाखिल-खारिज पंजी में अभिलेखित की गई थी। रामजी (अ. सा.-2) ने अभिसाक्ष्य दिया कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 14 वर्ष थी तथा उन्होंने

विशेष रूप से यह कथन किया कि विद्यालय में प्रवेश के समय उसकी आयु 7 वर्ष थी। अभियोक्त्री (अ. सा.-3) का प्रवेश दिनांक 3-7-1995 को किया गया था। अतः रामजी (अ. सा.-2) का साक्ष्य विश्वसनीय है। डॉ. एस. ए. मंडगे (अ. सा.-14) ने अभिसाक्ष्य दिया कि एक्स-रे प्रतिवेदन के आधार पर उन्होंने पाया कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 15 वर्ष थी। अतः चिकित्सीय साक्ष्य से भी यह स्थापित होता है कि अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 16 वर्ष से कम थी। अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की जन्मतिथि 12-5-1988 है तथा घटना की तिथि 30-5-2001 थी। इससे यह स्पष्ट होता है कि घटना के दिन अभियोक्त्री (अ. सा.-3) की आयु 16 वर्ष से कम थी।

15. अब, मैं इस प्रश्न का परीक्षण करूँगा कि क्या अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होते हैं अथवा नहीं?

16. अभियोक्त्री (अ. सा.-3) ने अभिसाक्ष्य दिया कि घटना के दिन उसके माता-पिता जीवकोपार्जन हेतु बाहर गए हुए थे तथा वह अपने घर पर अकेली थी। लगभग दोपहर 12:00 बजे अपीलार्थी उसके घर आया और उससे कहा कि उन्हें कार्य हेतु बालोद जाना है, क्योंकि वहाँ विवाह समारोह आयोजित हो रहा है, और वह उसे अपने साथ बालोद ले गया। उसने आगे कथन किया कि अपीलार्थी ने उसे रात्रि में बालोद में अपने मित्र के घर पर रखा। तत्पश्चात अपीलार्थी उसे मडौदा ले गया और वहाँ अपने पिता की बहन (बुआ) के घर में रखा, जहाँ अपीलार्थी ने उसके साथ उसकी इच्छा के विरुद्ध लैंगिक संभोग किया। उसने यह भी अभिसाक्ष्य दिया कि इसके पश्चात अपीलार्थी उसे खुर्सीपार ले गया और वहाँ अपने मित्र के घर में रखा तथा उसके साथ लैंगिक संभोग किया। तत्पश्चात अपीलार्थी उसे संबलपुर, उड़ीसा ले गया और वहाँ अपनी माता की बहन (मौसी) के घर में रखा।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17. अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के कथन के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि अपीलार्थी द्वारा अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के साथ लैंगिक संभोग उसकी सहमति से किया गया था, अतः वह लैंगिक संभोग के लिए सहमति प्रदान करने वाली पक्षकार थी, किन्तु घटना के दिन उसकी आयु 16 वर्ष से कम थी, अतः उसकी सहमति का कोई महत्व नहीं है तथा वह अतात्विक है। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत अपराध सिद्ध होता है।

18. जहाँ तक भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 एवं 366 के अंतर्गत दोषसिद्धि का संबंध है, अभियोक्त्री (अ. सा.-3) के साक्ष्य के अवलोकन से यह परिलक्षित होता है कि प्रलोभित किए जाने के

पश्चात अभियोक्त्री (अ. सा.-3), अपीलार्थी के साथ चली गई थी तथा उसके साथ निवास कर रही थी। अपीलार्थी ने अभियोक्त्री (अ. सा.-3) को उसके विधिक अभिभावक के संरक्षण से दूर ले जाया तथा अभियोक्त्री (अ. सा.-3) ने अपीलार्थी द्वारा पूर्णतः प्रलोभित एवं प्रभावित होकर अपना पैतृक निवास छोड़ दिया। अतः अपीलार्थी के विरुद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363 एवं 366 के अंतर्गत अपराध भी स्पष्ट रूप से सिद्ध होते हैं।

19. उपर्युक्त कारणों के आधार पर, अपीलार्थी को माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 363, 366 एवं 376 के अंतर्गत दोषसिद्ध ठहराना विधिसम्मत है। माननीय अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश द्वारा अभिलिखित निष्कर्षों में मुझे कोई त्रुटि परिलक्षित नहीं होती।

20. अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता ने तर्क प्रस्तुत किया कि अपीलार्थी एक निर्धन व्यक्ति है तथा अपराध दिनांक 30-5-2001 को घटित हुआ था। प्रकरण लगभग 11½ वर्ष तक लंबित रहा तथा अपीलार्थी लगभग 3½ वर्ष का कारावास भोग चुका है। अतः उसके विरुद्ध आरोपित कारावास को उसके द्वारा पहले से भुगती गई अवधि तक सीमित किया जाना चाहिए।

WebCopy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

21. ***राजस्थान राज्य बनाम विनोद कुमार, (2012) 6 एस.सी.सी. 770*** में माननीय उच्चतम न्यायालय ने निम्नलिखित सिद्धांत प्रतिपादित किया—

> "**21.** भारतीय दण्ड संहिता की धारा 376 के अंतर्गत निर्धारित न्यूनतम दण्ड से कम दण्ड प्रदान करना सामान्य नियम का अपवाद है। अपवाद खण्ड का उपयोग केवल अपवादात्मक परिस्थितियों में ही किया जाना चाहिए, जहाँ स्वयं उस अपवाद खण्ड में निहित शर्तें विद्यमान हों। यह स्थापित विधिक सिद्धांत है कि अपवाद खण्ड का सदैव कठोरता से अर्थान्वयन किया जाना अपेक्षित है, भले ही इससे किसी व्यक्ति को कठिनाई हो। अपवाद का प्रावधान इस उद्देश्य से किया गया है कि उसे मूल विधि के क्षेत्र से पृथक किया जा सके तथा यह स्पष्ट किया जा सके कि विधायिका ने किन परिस्थितियों को उसके अंतर्गत सम्मिलित करना तथा किन्हें अपवर्जित रखना अभिप्रेत किया है।"
>
> **23.** अतः इस विषय पर विधि का सार यह है कि दण्ड सदैव अपराध की गंभीरता के अनुपात में होना चाहिए। धर्म, जाति, वर्ण, आर्थिक अथवा सामाजिक स्थिति—चाहे अभियुक्त की हो या पीड़ित की—दण्ड की मात्रा निर्धारण के लिए सुसंगत कारक नहीं

हैं। न्यायालय को दण्ड निर्धारित करते समय सभी उग्र एवं शमनकारी परिस्थितियों तथा उस परिस्थिति का विचार करना होता है जिसमें अपराध किया गया है। अभियुक्त का आचरण एवं मानसिक अवस्था, यौन उत्पीड़ित पीड़िता की आयु तथा आपराधिक कृत्य की गंभीरता अत्यंत महत्वपूर्ण कारक हैं। न्यायालय को दण्ड आरोपित करते समय अपने विवेक का प्रयोग निष्पक्ष रूप से, प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए करना चाहिए।"

22. वर्तमान प्रकरण में, मुझे न्यूनतम 7 वर्ष के दण्ड से कम दण्ड प्रदान करने हेतु कोई पर्याप्त एवं विशेष कारण परिलक्षित नहीं होता। अतः दण्ड की मात्रा में किसी प्रकार के हस्तक्षेप का कोई औचित्य नहीं है।

23. फलस्वरूप, यह न्यायालय अपील में कोई सार नहीं पाता है तथा यह अपील खारिज किए जाने योग्य है। तदनुसार, अपील असफल होती है और इसे खारिज किया जाता है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सही/-

आर. एस. शर्मा

न्यायाधीश

अस्वीकरण: हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु **निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।**

Translated By .....Adv. Rahul Krishna Sahu